भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक **13 जून, 2022**

**(असाधारण भाग I—खंड -1)**

**अधिसूचना**

**सरकारी प्रतिभूतियों (जीएस) की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी**

एफ.संख्या.4(3)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2022:भारत सरकार एतदद्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम)अधिसूचित करती है:

| प्रतिभूति का नाम | मूल निर्गम की तारीख | मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन) | परिपक्वता की तारीख | नीलामी का आधार | नीलामी की विधि | अधिसूचित राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नई सरकारी प्रतिभूति, 2027 | 20 जून, 2022 | 05-00-00 | 20 जून, 2027 | लाभ | समान | 9,000 |
| भा०स० का अस्थायी दर वाला बांड 2034 | 30 अगस्त, 2021 | 13-02-00 | 30 अक्तूबर, 2034 | मूल्य | समान | 4,000 |
| 7.54% सरकारी प्रतिभूति, 2036 | 23 मई, 2022 | 14-00-00 | 23 मई, 2036 | मूल्य | समान | 10,000 |
| 6.99% सरकारी प्रतिभूति, 2051 | 15 नवम्बर, 2021 | 30-01-00 | 15 दिसम्बर, 2051 | मूल्य | विविध | 9,000 |

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी प्रतिभूतियां भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से बेची जाएंगी।

**अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन**

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम **(अनुबंध)** के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियां पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

**नीलामी का स्थान एवं तारीख**

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा **17 जून, 2022** को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में **17 जून, 2022** को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां **पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे** के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां **पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे** के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**कब निर्गमित कारोबार**

4. ये प्रतिभूतियां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होंगी।

**निर्गम की तारीख और प्रतिभूतियों के लिए भुगतान**

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर **17 जून, 2022** को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान **20 जून, 2022** अर्थात् **(निर्गम/पुनर्निर्गम)** की तारीख को किया जाएगा। प्रतिभूतियों के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक, प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा। जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

**ब्याज का भुगतान और प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान**

6. **मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख** से प्रतिभूति के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर **सममूल्य** पर किया जाएगा।

| प्रतिभूति का नाम | कूपन दर (%) | अंतिम कूपन भुगतान की तारीख | किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है | कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह) |
|---|---|---|---|---|
| नई सरकारी प्रतिभूति, 2027 | लाभ आधारित* | नई प्रतिभूति | नई प्रतिभूति | 20 दिसम्बर और 20 जून |
| भा०स० का अस्थायी दर वाला बांड 2034 | परिवर्तनीय# | 30 अप्रैल, 2022 | 19 जून, 2022 | 30 अक्तूबर और 30 अप्रैल |
| 7.54% सरकारी प्रतिभूति, 2036 | 7.54 | नई प्रतिभूति | 19 जून, 2022 | 23 नवम्बर और 23 मई |
| 6.99% सरकारी प्रतिभूति, 2051 | 6.99 | 15 जून, 2022 | 19 जून, 2022 | 15 दिसम्बर और 15 जून |

*प्रतिभूति के लिए कूपन दर का निर्णय नीलामी में निर्धारित 'परिपक्वता दर की कट ऑफ- लाभ' पर किया जाएगा। ब्याज का भुगतान अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा ।

#: भारत सरकार का अस्थायी दर वाला बांड *2034*

(i) परिवर्तनीय दर पर ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।

(ii) अस्थायी दर वाला बांड का कूपन दर जो मूल दर होगा तथा यह 182 दिवसीय राजकोशिय हुंडीयों की पिछली तीन नीलामी (दर निर्धारित करने के दिन से) के भारित औसत आय (डब्लू ए वाई) के औसत तथा नीलामी तंत्र द्वारा **98** आधार बिंदुओं के नियत प्रसार के सम्तुल्ये होगा। यह प्रसार बांड के पूरे अवधि के दौरान नियत रहेगा। अंतर्निहित आय की गणना वर्ष में 365 दिनों को ध्यान मे रखकर की जाएगी।

(iii) बांड की समायावधि के दौरान भारत सरकार की 182 दिवस राजकोशिए हुंडीयों की नीलामी के बंद कर दिये जाने की स्थिति मे, कूपन की मूल दर, अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पहले के तीन गैर-रिपोर्टिंग शुक्रवार को, छह माह तक भारत सरकार प्रतिभूति (यों) के लिए प्रचलित परिपक्वता दर आय (वाईटीएम) की औसत होगी । यदि किसी शुक्रवार कोई विशेष छुट्टी /छुट्टियाँ हो, तो परिपक्वता पर आय की दरे वही होंगी जो पिछले कार्यदिवस पर थी ।

(iv) कूपन अवधि 30 अप्रैल, 2022 से 29 अक्टूबर, 2022 के लिए आधार दर **4.40 प्रतिशत** प्रति वर्ष है। तदनुसार, इस अवधि के लिए अस्थायी दर वाला बांड 2034 पर ब्याज दर **5.38 प्रतिशत** प्रति वर्ष होगी। अनुवर्ती वर्षों के दौरान बांडों पर अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज दर, संबन्धित अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पूर्व, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित की जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

आशीष वच्छानी

(आशीष वच्छानी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार